

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2128/2008/जोधपुर

मैसर्स विनायक एन्टरप्राइजेज,
महावीर कॉम्प्लेक्स के पीछे, जोधपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-अ, जोधपुर.

.....प्रत्यथी.

खण्डपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक।

.....व्यवसायी की ओर से.

श्री डी.पी.ओझा, उप राजकीय अभिभाषक।

.....राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05.11.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त (विधि), वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 36 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 04.08.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।
2. प्रकरण का संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवसायी ने "सक्षम अधिकारी" के समक्ष दिनांक 18.07.2008 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 'फोटोग्राफिक केमिकल' के संबंध में कर दर सम्बन्धी विनिश्चय हेतु यह प्रश्न किया कि "What is the rate of tax on chemical used by photographic colour labs?" सक्षम अधिकारी ने इस बिन्दु पर यह निर्णय किया है कि "विवादित वस्तु 'फोटोग्राफिक केमिकल' का इस्तेमाल फोटो को डवलप करने, साफ करने में किया जाता है, अतः यह फोटोग्राफिक गुड्स है न कि केमिकल अतः इस पर कर दर 12 प्रतिशत लागू होगी। सक्षम अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 04.08.2008 से क्षुब्ध होकर व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।
3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि राज्य सरकार के बजट भाषण दिनांक 09.03.2007 में यह घोषणा की गयी थी कि राज्य में उद्योगों द्वारा विनिर्माण में विभिन्न प्रकार के केमिकल काम में लिये जा रहे हैं परन्तु कुछ ही केमिकल को 4 प्रतिशत की दर की अनुसूची में अंकित किया गया है अतः सभी प्रकार के केमिकल्स को 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य किया जा रहा है। इसी घोषणा अनुसार दिनांक 09.03.2007 को अनुसूची चतुर्थ के पार्ट बी के लिये जारी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 268 में निम्न अनुसार अंकित किया गया "Chemicals not specified elsewhere in this schedule or in any other schedule." इस तरह उक्त प्रविष्टि में सभी केमिकल्स को 4 प्रतिशत की कर दर से कर योग्य कर दिया गया था।
5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि किसी वस्तु की विशिष्ट दर अनुसूची में अंकित कर देने के पश्चात् उसे अवशिष्ट कर दर में कर योग्य नहीं माना जा सकता। उन्होंने बताया कि उक्त प्रविष्टि संख्या 268 को पुनः दिनांक 09.03.2010 को विलोपित कर दिया गया था,

६




निरन्तर.....2

अतः दिनांक 09.03.2010 के पश्चात् वे केमिकल जिनका अंकन पार्ट बी में नहीं था वह अवशिष्ट दर में स्वतः ही सम्मिलित हो गये थे। इस तरह दिनांक 09.03.2007 से दिनांक 09.03.2010 की अवधि में सभी तरह के केमिकल 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य थे। उन्होंने कथन किया कि सक्षम अधिकारी के आदेश में भी अंकित किया हुआ है कि पूर्व वर्षों में भी दिनांक 30.03.2000, 29.03.2001 एवं 22.03.2002 को जारी अधिसूचनाओं में फोटोग्राफिक केमिकल को विशिष्ट कर दर 8 प्रतिशत की श्रेणी में रखा गया था, जबकि अन्य केमिकल की कर दर उस समय 4 प्रतिशत थी परन्तु दिनांक 09.03.2007 को सभी तरह के केमिकल को पार्ट बी की प्रविष्टि 268 में अंकित कर दिया गया जिसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि जो केमिकल किसी अन्य अनुसूची में अंकित नहीं है, वे सभी 4 प्रतिशत में ही सम्मिलित होंगे। इस तरह किसी वस्तु के लिये विशिष्ट दर अधिसूचित होने के पश्चात् उसे अवशिष्ट कर दर में माना जाना अविधिक है।

6. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा यह अविधिक निर्णय दिया गया है कि फोटोग्राफिक केमिकल को वैट एक्ट की किसी भी अनुसूची में नहीं दर्शाया है जबकि उक्त प्रविष्टि संख्या 268 में सभी केमिकल दिनांक 09.03.2007 से 4 प्रतिशत से कर योग्य अंकित किये हुए है। कथन किया कि फोटोग्राफिक केमिकल भी एक केमिकल है, जो कि फोटोग्राफिक उद्योग में काम में लिये जाते हैं, अतः वे दिनांक 09.03.2007 से 4 प्रतिशत की दर से ही कर योग्य थे। यह भी कथन कि सक्षम अधिकारी ने अपनी स्वयं की इच्छा से फोटोग्राफिक केमिकल को फोटोग्राफिक गुड्स बताते हुए 12 प्रतिशत की दर से कर योग्य माना है जो विधि विरुद्ध है। उक्त कथनों के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मौरी यीस्ट इण्डिया प्रा.लि. बनाम उत्तरप्रदेश सरकार (2008) 14 RSTR-J (67), अल्लादी वेंकटेश्वार्लू व अन्य बनाम आन्ध्रप्रदेश सरकार 41 STC 394, चौहान पान भण्डार बनाम एसीटीओ, ब्यावर 1965 RRD 3, उडीसा सरकार बनाम मंगला स्टोर 125 STC 337 एवं परफेक्ट इंजिनियरिंग एन्टरप्राइज, अजमेर बनाम अतिरिक्त आयुक्त 7 TUD 116 के दृष्टांत पेश किए। उक्त न्यायिक निर्णयों के परिपेक्ष्य में फोटोग्राफिक केमिकल को केमिकल के अलावा वस्तु माने जाने को अविधिक बताते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

8. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में सक्षम अधिकारी के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त निर्णय के पूर्व उनके द्वारा अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 268 का अवलोकन नहीं किया गया है और न ही इस प्रविष्टि को अपने आदेश में विवेचित किया गया है उक्त प्रकरण के आदेश में उल्लेखित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि दिनांक 09.03.2007 के बजट भाषण में सभी केमिकल को 4 प्रतिशत से कर योग्य करने की घोषणा की गई थी एवं इसी क्रम में अनुसूची चतुर्थ के पार्ट बी में प्रविष्टि संख्या 268 अंकित कर दी गई थी। यह तथ्य भी अपीलार्थी की ओर से परिज्ञान में लाया गया था कि यह प्रविष्टि दिनांक 09.03.2010 तक अस्तित्व में रही तथा दिनांक 09.03.2010 से विलोपित करने पर पुनः अन्य केमिकल जो किसी अनुसूची में अंकित नहीं थे वे अवशिष्ट दर कर योग्य हो गये। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि दिनांक 09.03.2007 से राज्य सरकार की घोषित नीति के तहत ही




निरन्तर.....3

सभी तरह के उद्योगों में काम आने वाले केमिकल को 4 प्रतिशत की कर दर से कर योग्य माना गया से फोटोग्राफिक उद्योग में काम में आने वाले केमिकल भी 4 प्रतिशत की कर दर से ही कर योग्य हो गये थे।

9. यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त विवादित आदेश में दर्शायी गई विभिन्न अधिसूचनाओं वर्ष 2000, 2001 एवं 2002 में फोटोग्राफिक केमिकल पर विशिष्ट कर दर 8 प्रतिशत लागू की गई थी, जबकि उस अवधि में केमिकल की कर दर 4 प्रतिशत ही थी जबकि दिनांक 09.03.2007 के पश्चात् फोटोग्राफिक केमिकल की अलग से कोई कर दर नहीं करने से यह स्वतः ही प्रविष्टि संख्या 268 में सम्मिलित हो गई। सक्षम अधिकारी का यह निष्कर्ष भी त्रुटिपूर्ण है कि "Photographic Chemicals" एक फोटोग्राफिक गुड्स है जबकि वर्ष 2000, 2001 व 2002 में विभिन्न तरह के फोटोग्राफिक गुड्स का अंकन विशिष्ट रूप से अधिसूचनाओं में किया गया था जिसमें कैमरा लेंस, फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक पेपर, फोटोग्राफिक प्रिन्ट अलग-अलग अंकित किये हुए थे। इस तरह पूर्व में भी कर दर हेतु जारी अधिसूचनाओं में फोटोग्राफिक केमिकल को अलग से अंकित किया गया है। इस संबंध में प्रस्तुत माननीय न्यायालयों के निर्णयों के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि किसी वस्तु के नाम के अंकन के पश्चात् उस माल पर वही कर दर लागू होगी।

10. माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा मैसर्स परफेक्ट इंजिनियरिंग एन्टरप्राइजेज की अपील संख्या 16/1994/अजमेर में अतिरिक्त आयुक्त के उस निर्णय को अविधिक ठहराया गया है जिसमें "इण्डस्ट्रीयल डायमण्ड" को "डायमण्ड" नहीं माना जाना निर्णित किया गया था एवं यह निर्णय दिया गया कि "इण्डस्ट्रीयल डायमण्ड" भी अधिसूचित वस्तु "डायमण्ड" में सम्मिलित होगा। उक्तानुसार यह निर्णित किया जाता है कि अनुसूची के पार्ट बी की प्रविष्टि संख्या 268 में "केमिकल" में किसी किस्म की शर्त नहीं होने से सभी तरह के केमिकल जो अनुसूची चतुर्थ में या किसी अन्य अनुसूची में भी अंकित नहीं है वे सभी केमिकल 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं।

11. फलतः यह निर्णय किया जाता है कि फोटोग्राफिक केमिकल प्रविष्टि संख्या 268 में प्रदर्शित वस्तु "केमिकल" में सम्मिलित होने से दिनांक 09.03.2007 से इस प्रविष्टि के विलोपन तक 4 प्रतिशत से कर योग्य है।

12. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य


(के.एल.जैन)
सदस्य